

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
बड़जलास - चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या - 17/2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर		1 हीराराम पुत्र संग्रामलाल (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स:- श्री राणा किराणा स्टोर, दुकान नम्बर 1 एसबीआई एटीएम के पास, अजमेर रोड, थांवला नागौर। 2 दिनेश चन्द विजय (प्रोपराईटर) मैसर्स ओम सेल्स ऐजेन्सी चटाई मोहल्ला, केसर गंज, अजमेर।

आदेश

दिनांक :10.01.2025

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 14-02-2023 को मैसर्स श्री राणा किराणा स्टोर, दुकान नम्बर 1 एसबीआई एटीएम के पास, अजमेर रोड, थांवला नागौर पर खाद्य पदार्थ घी (मधुसुधन) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 2114 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/98/एक्ट /2023/125 दिनांक 22.02.2023 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना खाद्य पदार्थ घी (मधुसुधन) मिसब्राण्ड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण हीराराम पुत्र संग्रामलाल तथा दिनेश चन्द विजय ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 19-06-2023 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से श्री विक्रम जोशी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया तथा दिनांक 07-01-2025 को अपना जवाब प्रस्तुत कर बहस में बताया कि नमूने में लिये गये घी (मधुसुधन) के 500 एम.एल के पैकिट पर "BEST BEFORE NINE MONTHS FROM MANUFACTURE" अंकित किया हुआ था उक्त "BEST BEFORE NINE MONTHS FROM MANUFACTURE" से क्रेता को पूर्ण जानकारी मिलती थी कि, घी (मधुसुधन) को कब तक काम में लेना है। नमूना मिसब्राण्ड की तारीफ में नहीं आता है, जिससे दोष मुक्त करवाने का निवेदन किया है।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या क्रमांक एलएस/98/एक्ट /2023/125 दिनांक 22.02.2023 के अनुसार खाद्य पदार्थ घी (मधुसुधन) का नमूना मिसब्राण्ड होना पाया गया। इसलिये अप्रार्थीगण को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 01 हीराराम पुत्र संग्रामलाल तथा अप्रार्थी संख्या 02 दिनेश चंद विजय पर संयुक्त रूप से रूपये 10,000/- अक्षरे दस हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थीगण को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थीगण से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते हैं तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चम्पालाल जीनगर)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)